सं. ओ. वि./एफ डी./14-84/30008.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. मै. ऐशिया फाउण्डरी, प्लाट नं. 258, सैक्टर-24, फरीदाबाद, 2. मैनेजिंग डायरैक्टर मै. ऐशिया फाउण्डरी, मार्फत मै. राजेन्द्रा फाउण्डरी, प्लाट नं. 32, जंगपुरा रोड भोगल दिल्ली के श्रमिक श्री राजाराम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495/जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवाद ग्रस्त या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री राजाराम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ।

सं. ओ. वि/एफ.डी./14-84/30010.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. मै. ऐशिया फाउण्डरी, प्लाट नं. 258, सैक्टर-24, फरीदाबाद, 2. मैनेजिंग डायरैक्टर, मै. ऐशिया फाउण्डरी मार्फत मै. राजेन्द्रा फाउण्डरी प्लाट नं. 32, जंगपुरा रोड भोगल दिल्ली, के श्रमिक श्री सत्यनारायण सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495/जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद, को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सत्यनारायण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि/एफ. डी./14-84/3002 .—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. मै. ऐशिया फाउण्डरी प्लाट नं. 258, सैक्टर-24, फरीदबाद 2. मैनेजिंग डायरैक्टर, मै. ऐशिया फाउण्डरी मार्फत मै. राजेन्द्रा फाउण्डरी प्लाट नं. 32 जंगपुरा रोड भोगल दिल्ली के श्रमिक, श्री प्रकाश तथा उनके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मम्मला है:—

क्या श्री प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?